संख्या-24/2015/948/49-3-2015-100(15)/2006

प्रेषक,

जनार्दन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 07 जुलाई, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय सदस्यता शुल्क की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 166/लेखा-अ, दिनांक 18 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती हैं।

2- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विदयमान व्यवस्था/नियमों के अधीन आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक **' 2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-05-सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान-20-सहायता अनुदान/सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत '** सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है और इस आदेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जनार्दन
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 24/2015/948(1)/49-3-2015,तद् -दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2,उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
7- वेब मास्टर, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जनार्दन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।